



युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कं. लि.
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
पंजीकृत और प्रधान कार्यालय : 24 वाइट्स रोड चेन्नै-600014
Regd & Head Office : 24 Whites Road Chennai -600014

मंडल/शाखा कार्यालय.....

Divisional / Branch Office

प्लेट शीशे के बीमे का प्रस्ताव-फार्म
Proposal Form for Plate Glass Insurance

1. (क) प्रस्तावक का (पूरा) नाम (क)
(a) Name of Proposer (in full) (a)
 - (ख) पता (ख)
(b) Address (b)
 - (ग) व्यवसाय (ग)
(c) Business (c)
-
2. (क) उस परिसर का पता जिसमें शीशा जड़ा हुआ है। (क)
(a) Address of premises in which Glass is fixed. (a)
 - (ख) परिसर में किए जाने वाला व्यापार अथवा व्यवसाय। (ख)
(b) Trade or Business carried on in the premises. (b)
-
3. क्या परिसर किसी गली के कोने पर अथवा खुली स्थिति में है ?
Are the premises at the corner of a street or in an exposed position ?
-
4. क्या अब कोई शीशा टूटा हुआ है ?
यदि हाँ, तो उसकी स्थिति और आकार बताएँ।
Is any of the Glass now broken ?
If so, describe its position and size.
-
5. क्या इस समय शीशे का बीमा कराया हुआ है ?
यदि हाँ, तो कितनी रकम (रकमों का और किसी) किन बीमाकर्ता (बीमाकर्ताओं) से
Is the Glass insured at present ?
If so, for what amount(s) and with which Insurer(s)?
-

6. पिछले बारह महीनों में शीशे में किस-किस कारण से कितनी-कितनी टूट-फूट हुई है।

What breakages have occurred during the last twelve months and from what causes?

7. क्या प्रस्तावक ने टूट-फूट से हुई हानि अथवा किसी प्लेट शीशे को पहुँचे नुकसान के संबंध में कभी कोई दावा किया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।

Has the Proposer ever made any claim for breakage loss of or damage to any Plate Glass? If so, give below particulars.

घटना की तारीख Date of Occurance	टूट-फूट से हुई हानि अथवा नुकसान का विवरण Details of breakage loss or damage	बीमाकर्ता का नाम Name of Insurer	वसूल की गई रकम Amount recovered	वसूल किए जाने के लिए शेष रकम Amount to be recovered
			र. Rs.	र. Rs.

8. क्या किसी बीमाकर्ता ने प्लेट ग्लास के बीमे के संबंध में कभी—
Has any Insurer in respect of any Plate glass cover ever

- (क) प्रस्तावक का प्रस्ताव ठुकराया है, अथवा (क)
(a) declined a proposal from the Proposer, or (a)
- (ख) कोई पालिसी रद्द कर दी है अथवा उसका नवीकरण
करने से इंकार कर दिया है, अथवा (ख)
(b) cancelled or declined to renew any policy, or (b)
- (ग) बढ़ी हुई दर पर प्रीमियम की मांग की है, अथवा (ग)
(c) demanded an increased rate, or (c)
- (घ) बीमा करने या पालिसी का नवीकरण करने के लिए
किन्हीं विशेष शर्तों की अपेक्षा की है? (घ)
(d) required any special terms to insure or grant
any renewal? (d)

9. बीमे की अवधि

.....से

.....तक

Period of insurance

From.....

To.....

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त कथन और उत्तर सही हैं तथा कोई भी तात्त्विक तथ्य न तो छिपाया गया है न गलत बताया या गलत दर्शाया गया है और मैं/हम करार करता हूँ/करते हैं कि यह प्रस्ताव और घोषणा मेरे/हमारे और युनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के बीच होनेवाली सविदा का आधार होंगे। प्रस्तावित बीमे की उसकी मानक पालिसी मुझे/हमें स्वीकार्य है।

I/We hereby declare that the above statements and answers are true and correct and no material fact has been withheld, mis-stated or mis-represented and I/We agree that this proposal and declaration shall be the basis of this contract between me/us and United India Insurance Co. Ltd. whose standard policy for the insurance proposed is acceptable to me/us.

स्थान :

Place :

तारीख :

Date :

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
Signature of Proposer

नोट : कम्पनी का दायित्व तब तक आरम्भ नहीं होता, जब तक बीमे का प्रस्ताव स्वीकार न कर लिया जाए और कंपनी को प्रीमियम अदा न कर दिया जाए।

Note : The liability of the Company does not commence until the proposal has been accepted by the Company and premium paid.

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41

Section 41 of the Insurance Act, 1938

छूट निषेध

Prohibition of Rebates

- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति बीमा लेने, नवीकरण करने या चालू रखने के लिए, प्रलोभन के रूप में, देय कमिशन के पूरे या हिस्से की छूट या पॉलिसी में सूचित प्रीमियम की छूट दे या दिलाए और कोई व्यक्ति पॉलिसी लेने या चालू रखने के लिए ऐसी किसी छूट को स्वीकार नहीं करेगा जो बीमाकर्ता द्वारा प्रकाशित सूची या विवरणीका अनुसार अनुमत न हो।

No person shall allow or offer to allow either directly or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue an insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy nor shall any person taking out or continuing a policy accept any rebate except such rebate as may be allowed in accordance with the prospectus or tables of the Insurer

- इस धारा में उपबंधों का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति पाँच सौ रूपयों तक के लिए दंडनीय होगा।

Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to Rs. 500/-

बीमा की जानिवाली सम्पत्ति
Property to be Insured

विवरण और माप
Particulars and Dimensions

बताएँ कि शीशा दूकान में सामने की ओर अथवा पीछे अथवा बगल में अथवा दरवाजे में लगा है। State whether Glass is fixed in shop front, rear or side or door.	शीशों की संख्या No. of Panes	क्या शीशा प्लेट अथवा शीट के रूप में और सादा चांदी के मुलम्लेवाला, नक्काशीदार, मुड़ा हुआ, रंगीन अक्षरांकित अथवा अलंकृत अथवा चौथाई इंचों से अधिक मोटाईवाला है। Whether Plate or Sheet and Whether Plain, Silvered, Embossed, Curved, Stained, Lettered or Ornamented or more than 1/4 in. thick	प्रत्येक शीशे का आकार से. मी. में Size of each Pane in Cms.		प्रत्येक शीशे का क्षेत्रफल (वर्ग से.मी.में) Square Cms. each Pane	कितनी राशि का बीमा कराना है रु. Sum to be Insured Rs.
			ऊँचाई Height	चौड़ाई Width		

6

ध्यान दें : हानि होने की दशा में हर प्रकार का शीशा तब तक सादा और साधारण चमकवाला समझा जाएगा जब तक पालिसी में विशेष रूप से उसकी किस्म का उल्लेख न किया गया हो। शीशे पर किसी प्रकार का अक्षरांकन, नक्काशी, चांदी का मुलम्ला अथवा किसी अन्य प्रकार का अलंकरण तब तक बीमाकृत नहीं समझा जाता जब तक उसका पालिसी में उल्लेख न किया गया हो और उसके संबंध में अतिरिक्त प्रीमियम अदा न किया गया हो। पूर्ण और सुरक्षित रूप से न जड़े शीशे का कोई बीमा नहीं किया जाएगा।

Note : In the event of loss All Glass is considered Plain and of ordinary glazing quality unless the CONTRARY is specially named in the Policy. No Lettering, Embossing, Silvering or any Ornamental work is considered insured unless named on the Policy and the additional premium paid thereon. No insurance is granted in respect of glass not completely and securely fixed.